मांग संख्या 79
जनजातीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		806.40	2.57	808.97	747.40	4.22	751.62	1010.00	4.66	1014.66
पूंजी		*3.60*	*...*	*3.60*	*2.60*	*...*	*2.60*	*30.00*	*...*	*30.00*
जोड़		**810.00**	**2.57**	**812.57**	**750.00**	**4.22**	**754.22**	**1040.00**	**4.66**	**1044.66**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं मंत्रिपरिषद	2251	...	1.74	1.74	...	3.50	3.50	0.60	3.83	4.43
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
3. कन्या छात्रावास	2225	0.90	...	0.90	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
	3601	11.10	...	11.10	6.60	...	6.60	10.00	...	10.00
	जोड़	*12.00*	*...*	*12.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*10.50*	*...*	*10.50*
4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2225	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
	3601	63.10	...	63.10	44.00	...	44.00	62.99	...	62.99
	जोड़	*63.20*	*...*	*63.20*	*44.05*	*...*	*44.05*	*63.00*	*...*	*63.00*
5. जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम	2225	0.15	...	0.15	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
स्कूलों की स्थापना	3601	12.85	...	12.85	6.95	...	6.95	12.00	...	12.00
	जोड़	*13.00*	*...*	*13.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*12.50*	*...*	*12.50*
6. भारतीय जन-जातीय सहकारी विपणन	4225	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
विकास संघ में निवेश	2225	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
7. लड़कों के लिए छात्रावास	3601	10.40	...	10.40	7.60	...	7.60	9.50	...	9.50
	जोड़	*10.80*	*...*	*10.80*	*7.80*	*...*	*7.80*	*10.00*	*...*	*10.00*
8. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए	2225	52.20	0.67	52.87	38.60	0.56	39.16	56.40	0.67	57.07
अन्य कार्यक्रम	3601	33.55	0.14	33.69	21.92	0.14	22.06	32.80	0.14	32.94
	3602	0.65	...	0.65	0.03	...	0.03	0.20	...	0.20
	जोड़	*86.40*	*0.81*	*87.21*	*60.55*	*0.70*	*61.25*	*89.40*	*0.81*	*90.21*
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता										
9. जनजातीय उप-आयोजनाएं	2225	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	3601	397.00	...	397.00	397.00	...	397.00	497.00	...	497.00
	जोड़	*400.00*	*...*	*400.00*	*400.00*	*...*	*400.00*	*500.00*	*...*	*500.00*
10. संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के परन्तुक										
के अधीन योजनाओं के लिए सहायता	3601	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता		**600.00**	**...**	**600.00**	**600.00**	**...**	**600.00**	**800.00**	**...**	**800.00**
जोड़-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण		**786.40**	**0.81**	**787.21**	**726.40**	**0.70**	**727.10**	**986.40**	**0.81**	**987.21**
11. सरकारी उद्यमों में निवेश										
11.1 राज्य जनजातीय विकास वित्त										
निगम	4225	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	2.00	...	2.00
11.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और	4225	...	...	...	...	...	...	27.00	...	27.00
विकास निगम	*जोड़*	*2.60*	*...*	*2.60*	*2.60*	*...*	*2.60*	*29.00*	*...*	*29.00*
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए										
एकमुश्त प्रावधान	2552	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	24.00	...	24.00
कुल जोड़		***810.00***	***2.57***	***812.57***	***750.00***	***4.22***	***754.22***	***1040.00***	***4.66***	***1044.66***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. राज्य जनजातीय विकास	22225	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	2.00	...	2.00
विकास वित्त निगम										
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति										
वित्त निगम	22225	...	...	...	...	...	...	27.00	...	27.00
	जोड़	*2.60*	*...*	*2.60*	*2.60*	*...*	*2.60*	*29.00*	*...*	*29.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	0.60	...	0.60
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	189.00	...	189.00	129.00	...	129.00	215.40	...	215.40
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	24.00	...	24.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**210.00**	**...**	**210.00**	**150.00**	**...**	**150.00**	**240.00**	**...**	**240.00**
राज्य आयोजना										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
2. जनजातीय उप आयोजना	43601	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
जोड़-राज्य आयोजना		**600.00**	**...**	**600.00**	**600.00**	**...**	**600.00**	**800.00**	**...**	**800.00**
जोड़		**810.00**	**...**	**810.00**	**750.00**	**...**	**750.00**	**1040.00**	**...**	**1040.00**

1. यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों और संस्थानों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

3. इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को 50 : 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण और विस्तार हेतु शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिये जाते हैं। यह अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में साक्षरता का संवर्धन करने में एक प्रभावी साधन के रूप में सिद्ध हुआ है।

4. इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत के भीतर मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम का अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में स्कीम का कार्यान्वयन कर रही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनकी सम्बन्धित प्रतिबद्ध जिम्मेदारी, जो उन्हें उनके स्वयं के संसाधनों के माध्यम से वहन की जानी अपेक्षित है, के अतिरिक्त शत- प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में प्रतिबद्ध जिम्मेदारी 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ से समाप्त कर दी गई है।

5. इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं जैसे विद्यार्जन के अनुकूल परिवेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को समान आधार पर अर्थात् 50:50 आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%) अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

6. यह व्यवस्था भारतीय जन-जातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टी आर आई एफ इ डी) में शेयर पूंजी निवेश हेतु की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों की उनकी उपज को लाभकारी मूल्यों पर बेचने में मदद करना है। और उन्हें शोषण करने वाले निजी व्यापारियों और बिचौलियों से मुक्त करना है।

7. इस स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण और विस्तार के लिए , राज्यों को 50:50 और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, 100% आधार पर अनुदान प्रदान किए जाते है । ये जनजातीय क्षेत्रों में लड़कों की साक्षरता में प्रभावकारी साधन सिद्ध हुए हैं।

8. यह व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण, ट्राइफेड को मूल्य समर्थन, लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जन-जातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान के लिए है। जन-जातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षर इलाकों में शैक्षणिक परिसर जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 (i) की धारा (अ) के द्वितीय परन्तुक के तहत असम सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में अनाज बैकों, पुस्तक बैंकों, कोचिंग और संबंधित स्कीम, मेरिट में आने वाले अ.जा. जाति के विद्यार्थियों के उन्ययन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय आयोग और आदिम जनजाति समूहों के विकास से सम्बन्धित हैं।

9. जनजातीय उप आयोजना की अवधारणा 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं, आशोधित क्षेत्र के विकास दृष्टिकोण के 259 क्षेत्रों, 82 समूहों तथा 75 आदिम जन-जातीय समूहों के लिए रूपांकित की गई है । जनजातीय उप योजना कार्य प्रणाली का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और शोषण से उन का संरक्षण करना है। उप योजना दृष्टिकोण में 18 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राज्य योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

10. इस योजना के तहत यह अनुदान राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा शुरू की गई विशेष स्कीमों की लागतों को पूरा करने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने हेतु दिया जाता है।

11. **राज्य जनजातीय विकास वित्त निगमः** इसमें विभिन्न राज्यों में राज्य जनजातीय विकास निगमों, जो गरीबी की रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्त प्रबंध जुटाते हैं, की स्थापना के लिए राज्य में शेयर पूंजी निवेश में भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ एक मुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए है।